अंतराल

भाग 1

कक्षा 11 के लिए हिंदी (ऐच्छिक) की पूरक पाठ्यपुस्तक

11070

not to be republished © NCERT

एन सी ई आर टी
NCERT

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

11070 – अंतराल (भाग 1)
कक्षा 11 के लिए पाठ्यपुस्तक

ISBN 81-7450-580-6

प्रथम संस्करण
मई 2006 वैशाख 1928

पुनर्मुद्रण
नवंबर 2006, जून 2008, दिसंबर 2009, जनवरी 2010, जनवरी 2012, अप्रैल 2013, नवंबर 2013, मार्च 2015, दिसंबर 2015, मार्च 2017, नवम्बर 2017, दिसंबर 2018, अक्तूबर 2019, जुलाई 2021 और नवंबर 2021

संशोधित संस्करण
अक्तूबर 2022 कार्तिक 1944

पुनर्मुद्रण
मार्च 2024 चैत्र 1946

PD 10T SU

© ***राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, 2006, 2022***

₹ 50.00

एन.सी.ई.आर.टी. वाटरमार्क 80 जी.एस.एम. पेपर पर मुद्रित।

प्रकाशन प्रभाग में सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली 110 016 द्वारा प्रकाशित तथा ताज प्रिंटर्स, 69/6ए, नज़फगढ़ रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, नजदीक कीर्ति नगर मैट्रो स्टेशन, नयी दिल्ली – 110 015 द्वारा मुद्रित।

सर्वाधिकार सुरक्षित

- प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना इस प्रकाशन के किसी भाग को छापना तथा इलैक्ट्रॉनिकी, मशीनी, फोटोप्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग अथवा किसी अन्य विधि से पुनः प्रयोग पद्धति द्वारा उसका संग्रहण अथवा प्रसारण वर्जित है।
- इस पुस्तक की बिक्री इस शर्त के साथ की गई है कि प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना यह पुस्तक अपने मूल आवरण अथवा जिल्द के अलावा किसी अन्य प्रकार से व्यापार द्वारा उधारी पर, पुनर्विक्रय या किराए पर न दी जाएगी, न बेची जाएगी।
- इस प्रकाशन का सही मूल्य इस पृष्ठ पर मुद्रित है। रबड़ की मुहर अथवा चिपकाई गई पर्ची (स्टिकर) या किसी अन्य विधि द्वारा अंकित कोई भी संशोधित मूल्य गलत है तथा मान्य नहीं होगा।

एन.सी.ई.आर.टी. के प्रकाशन प्रभाग के कार्यालय

एन.सी.ई.आर.टी. कैंपस
श्री अरविंद मार्ग
नयी दिल्ली 110 016 — फोन : 011-26562708

108, 100 फीट रोड
हेली एक्सटेंशन, होस्डेकेरे
बनाशंकरी III स्टेज
बेंगलुरु 560 085 — फोन : 080-26725740

नवजीवन ट्रस्ट भवन
डाकघर नवजीवन
अहमदाबाद 380 014 — फोन : 079-27541446

सी.डब्ल्यू.सी. कैंपस
निकट: धनकल बस स्टॉप पनिहटी
कोलकाता 700 114 — फोन : 033-25530454

सी.डब्ल्यू.सी. कॉम्प्लैक्स
मालीगांव
गुवाहाटी 781 021 — फोन : 0361-2674869

प्रकाशन सहयोग

अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग	:	*अनूप कुमार राजपूत*
मुख्य संपादक	:	*श्वेता उप्पल*
मुख्य उत्पादन अधिकारी	:	*अरुण चितकारा*
मुख्य व्यापार प्रबंधक (प्रभारी)	:	*अमिताभ कुमार*
संपादक	:	*नरेश यादव*
सहायक उत्पादन अधिकारी	:	*ओम प्रकाश*

आवरण एवं सज्जा
कल्याण बैनर्जी

© NCERT not to be republished

आमुख

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005) सुझाती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। यह सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है जिसके प्रभाववश हमारी व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच अंतराल बनाए हुए है। नयी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पर आधारित पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें इस बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास हैं। इस प्रयास में हर विषय को एक मज़बूत दीवार से घेर देने और जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध शामिल है। आशा है कि ये कदम हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में वर्णित बाल-केंद्रित व्यवस्था की दिशा में काफ़ी दूर तक ले जाएँगे।

इस प्रयत्न की सफलता अब इस बात पर निर्भर है कि स्कूलों के प्राचार्य और अध्यापक बच्चों को कल्पनाशील गतिविधियों और सवालों की मदद से सीखने और सीखने के दौरान अपने अनुभव पर विचार करने का कितना अवसर देते हैं। हमें यह मानना होगा कि यदि जगह, समय और आज़ादी दी जाए तो बच्चे बड़ों द्वारा सौंपी गई सूचना-सामग्री से जुड़कर और जूझकर नए ज्ञान का सृजन करते हैं। शिक्षा के विविध साधनों व स्रोतों की अनदेखी किए जाने का प्रमुख कारण पाठ्यपुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति है। सर्जना और पहल को विकसित करने के लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में पूरा भागीदार मानें और बनाएँ, उन्हें ज्ञान की निर्धारित खुराक का ग्राहक मानना छोड़ दें।

ये उद्देश्य स्कूल की दैनिक ज़िंदगी और कार्यशैली में काफ़ी फेरबदल की माँग करते हैं। दैनिक समय-सारणी में लचीलापन उतना ही ज़रूरी है, जितना वार्षिक कैलेंडर के अमल में चुस्ती, जिससे शिक्षण के लिए नियत दिनों की संख्या

© NCERT not to be republished

हकीकत बन सके। शिक्षण और मूल्यांकन की विधियाँ भी इस बात को तय करेंगी कि यह पाठ्यपुस्तक स्कूल में बच्चों के जीवन को मानसिक दबाव तथा बोरियत की जगह खुशी का अनुभव बनाने में कितनी प्रभावी सिद्ध होती है। बोझ की समस्या से निपटने के लिए पाठ्यक्रम निर्माताओं ने विभिन्न चरणों में ज्ञान का पुनर्निर्धारण करते समय बच्चों के मनोविज्ञान एवं अध्यापन के लिए उपलब्ध समय का ध्यान रखने की पहले से अधिक सचेत कोशिश की है। इस कोशिश को और गहराने के यत्न में यह पाठ्यपुस्तक सोच-विचार और विस्मय, छोटे समूहों में बातचीत एवं बहस, और हाथ से की जाने वाली गतिविधियों को प्राथमिकता देती है।

एन.सी.ई.आर.टी. इस पुस्तक की रचना के लिए बनाई गई पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति के परिश्रम के लिए कृतज्ञता व्यक्त करती है। परिषद् भाषा सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रोफ़ेसर नामवर सिंह और इस पुस्तक के मुख्य सलाहकार प्रोफ़ेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल की विशेष आभारी है। इस पाठ्यपुस्तक के विकास में कई शिक्षकों ने योगदान दिया; इस योगदान को संभव बनाने के लिए हम उनके प्राचार्यों के आभारी हैं। हम उन सभी संस्थानों और संगठनों के प्रति कृतज्ञ हैं जिन्होंने अपने संसाधनों, सामग्री तथा सहयोगियों की मदद लेने में हमें उदारतापूर्वक सहयोग दिया। हम माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रोफ़ेसर मृणाल मीरी एवं प्रोफ़ेसर जी.पी. देशपांडे की अध्यक्षता में गठित निगरानी समिति (मॉनिटरिंग कमेटी) द्वारा नामित श्री अशोक वाजपेयी और प्रोफ़ेसर सत्यप्रकाश मिश्र को अपना मूल्यवान समय और सहयोग देने के लिए धन्यवाद देते हैं। व्यवस्थागत सुधारों और अपने प्रकाशनों में निरंतर निखार लाने के प्रति समर्पित एन.सी.ई.आर.टी टिप्पणियों एवं सुझावों का स्वागत करेगी जिनसे भावी संशोधनों में मदद ली जा सके।

निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद्

नयी दिल्ली
20 दिसंबर 2005

© NCERT not to be republished

पाठ्यपुस्तकों में पाठ्य सामग्री का पुनर्संयोजन

कोविड-19 महामारी को देखते हुए, विद्यार्थियों के ऊपर से पाठ्य सामग्री का बोझ कम करना अनिवार्य है। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020* में भी विद्यार्थियों के लिए पाठ्य सामग्री का बोझ कम करने और रचनात्मक नज़रिए से अनुभवात्मक अधिगम के अवसर प्रदान करने पर ज़ोर दिया गया है। इस पृष्ठभूमि में, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने सभी कक्षाओं में पाठ्यपुस्तकों को पुनर्संयोजित करने की शुरुआत की है। इस प्रक्रिया में रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा पहले से ही विकसित कक्षावार सीखने के प्रतिफलों को ध्यान में रखा गया है।

पाठ्य सामग्रियों के पुनर्संयोजन में निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा गया है –

- स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों की पाठ्यपुस्तकों एवं पूरक पाठ्यपुस्तकों में समान विधाओं का समायोजन;
- भाषायी दक्षता के लिए सीखने के प्रतिफलों की प्राप्ति संबंधी विषय वस्तु की उपस्थिति;
- कोविड महामारी से पैदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम-बोझ और परीक्षा तनाव को कम करना;
- विद्यार्थियों के लिए सहज रूप से सुलभ पाठ्य सामग्री का होना, जिसे शिक्षकों के अधिक हस्तक्षेप के बिना, वे खुद से या सहपाठियों के साथ पारस्परिक रूप से सीख सकते हों;
- वर्तमान संदर्भ में अप्रासंगिक सामग्री का होना।

वर्तमान संस्करण, ऊपर दिए गए परिवर्तनों को शामिल करते हुए तैयार किया गया पुनर्संयोजित संस्करण है।

© NCERT not to be republished

© NCERT
not to be republished

पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति

अध्यक्ष, भाषा सलाहकार समिति

नामवर सिंह, *पूर्व अध्यक्ष,* भारतीय भाषा केंद्र, जे.एन.यू., नयी दिल्ली।

मुख्य सलाहकार

पुरुषोत्तम अग्रवाल, *पूर्व प्रोफ़ेसर,* भारतीय भाषा केंद्र, जे.एन.यू., नयी दिल्ली।

मुख्य समन्वयक

रामजन्म शर्मा, *पूर्व प्रोफ़ेसर एवं अध्यक्ष,* भाषा शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली।

सदस्य समन्वयक

लालचंद राम, प्रोफेसर, भाषा शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली।

© NCERT not to be republished

आभार

इस पुस्तक के निर्माण में अकादमिक सहयोग के लिए परिषद् निगरानी समिति द्वारा नामित अशोक वाजपेयी और सत्यप्रकाश मिश्र की आभारी है।

पुस्तक निर्माण संबंधी कार्यों में तकनीकी सहयोग के लिए परिषद् *कंप्यूटर स्टेशन इंचार्ज* (भाषा विभाग) परशराम कौशिक; *डी.टी.पी. ऑपरेटर* जय प्रकाश राय, सचिन कुमार, कमल कुमार और अरविंद शर्मा; *कॉपी एडीटर* अदिति ठाकुर, वरुणा मित्तल और सुप्रिया गुप्ता तथा *प्रूफ़ रीडर* कमलेश कुमारी की आभारी है।

परिषद् इस संस्करण के पुनर्संयोजन के लिए पाठ्यचर्या समूह द्वारा गठित की गई समीक्षा समिति जिसमें भाषा शिक्षा विभाग के हिंदी संकाय सदस्य तथा सी.बी.एस.ई. के प्रतिनिधि शामिल हुए, के प्रति आभार व्यक्त करती है।

© NCERT not to be republished

इस पुस्तक के बारे में

परिषद् पाठ्यपुस्तक निर्माण के साथ-साथ पूरक पठन के लिए भी पुस्तकों का निर्माण करती है। पाठ्यपुस्तक की अपनी सीमाएँ होती हैं। साहित्य की प्रमुख विधाओं की सभी प्रमुख रचनाओं को पाठ्यपुस्तक में समेटना संभव नहीं होता इसलिए विशिष्ट रचना या सामग्री, जो विद्यार्थी की उम्र, रुचि और योग्यता के अनुरूप हो, पूरक पठन की पुस्तक में दी जाती है। पूरक पठन की पुस्तक का उद्देश्य ही है पाठ्यपुस्तक के अधूरेपन को दूर करना, उसे पूर्ण बनाना। द्रुत पठन के लिए भी विद्यार्थी पूरक पठन की पुस्तक का उपयोग कर सकते हैं। इससे पहले इस स्तर पर किसी एक विधा की पुस्तक ही निर्धारित की जाती थी किंतु व्यावहारिकता की दृष्टि से और पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम की मूल अवधारणा के मुताबिक इस बार कई विधाओं को एक साथ पूरक पठन की पुस्तक में समाहित किया गया है, ताकि विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा साहित्यिक विधाओं से परिचित हो सकें।

इस पुस्तक में कुल दो पाठ हैं — सुविख्यात चित्रकार मकबूल फ़िदा हुसैन की आत्मकथा 'हुसैन की कहानी अपनी ज़बानी' के दो छोटे अंश तथा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित शरतचंद्र के जीवन पर आधारित जीवनी 'आवारा मसीहा' का प्रथम पर्व 'दिशाहारा'। यह दोनों पाठ उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थी की रुचि, उम्र और योग्यता को ध्यान में रखकर चुने गए हैं ताकि विद्यार्थी इसे समझ के साथ द्रुत गति से पढ़ सकें। रोचकता की दृष्टि से दोनों पाठ उत्तम हैं।

मकबूल फ़िदा हुसैन की आत्मकथा 'हुसैन की कहानी अपनी ज़बानी' का एक अंश 'बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल' उनके विद्यालय जीवन से जुड़ा हुआ है। यहाँ उनकी रचनात्मक प्रतिभा के अंकुर फूटे, उनके कस्बे कमाल हुनर की पहचान हुई। बड़ौदा का वह स्कूल जहाँ हुसैन की चित्रकारी का अंकुर फूटा,

© NCERT not to be republished

आज पूरी दुनिया का गर्व बना हुआ है। दूसरा अंश है, 'रानीपुर बाज़ार' जहाँ हुसैन को व्यापार की ओर मोड़ा जा रहा था, किंतु उनकी चित्रकारी का जादू अपनी ही राह तलाशता रहा और अंततः पिताजी की रोशनखयाली ने उन्हें एक महान चित्रकार बना दिया जिससे वे ज़िंदगी के रंगों से भर गए। निश्चित रूप से उनके जीवन के ये दोनों महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम विद्यार्थी जीवन से जुड़े हैं। यदि प्रतिभा विकास का सही अवसर और सही दिशा मिल जाए तो जीवन धन्य हो सकता है। विद्यार्थी, अध्यापक और अभिभावक इससे अवश्य प्रेरणा ग्रहण करेंगे, ऐसा विश्वास है।

शरत्चंद्र के जीवन पर आधारित 'आवारा मसीहा' का प्रथम पर्व 'दिशाहारा' वाकई दिशाहारा है। शरत्चंद्र के जीवन की दिशा क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, कुछ भी तय नहीं। आवारा से आशय यहाँ सचमुच आवारा ही है। कुछ भी पहले से तय और योजनाबद्ध नहीं है। जीवन निरुद्देश्य है। ज़ाहिर है जो आवारा होगा वह दिशाहारा तो होगा ही। जीवन की शुरुआत बालसुलभ चंचलता से होती है। एक कहावत है 'सद्बुद्धि चीथड़ों में चमकती है'। अभावों के बावजूद शरत्चंद्र का व्यक्तित्व इतना सार्थक एवं सटीक बन पड़ा कि ताज्जुब होता है। स्वतंत्र व्यक्तित्व, स्वच्छंद वातावरण की तलाश वे सदैव करते रहे। स्वच्छंदता, साहस, निर्णय लेना, पहल करना, दृढ़ प्रतिज्ञा आदि कौशलों के कारण ही मन ही मन उन्होंने प्रतिज्ञा की होगी, "मैं सूर्य, गंगा और हिमालय को साक्षी करके प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं जीवन भर सौंदर्य की उपासना करूँगा, कि मैं जीवन भर अन्याय के विरुद्ध लड़ूँगा, कि मैं कभी छोटा काम नहीं करूँगा।" यह संकल्प ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि इस संकल्प ने ही शरत्चंद्र को महान चिंतक और रचनाकार बनाया होगा। ईमानदारी और संबंधों का निर्वाह जैसे मूल्य भी व्यक्तित्व निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह पढ़कर निश्चित ही विद्यार्थी प्रेरित होंगे और अच्छा मनुष्य बनने के लिए कोई संकल्प करेंगे। जीवन के हर मोड़ पर व्यक्ति उत्कृष्ट प्रदर्शन करे आवश्यक नहीं, किंतु

© NCERT not to be republished

किसी विशेष क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन पूरे व्यक्तित्व का आईना हो सकता है, इसमें दो राय नहीं। प्रतिभा के विकास को हर समय उचित अवसर मिले आवश्यक नहीं लेकिन जब भी मिले उसका उपयोग करना चाहिए। यह उपयोग ही शरत् को शरत् बना सका। विद्यार्थी निश्चित ही इस रचना से प्रेरणा ग्रहण करेंगे, ऐसी आशा है।

पुस्तक में पाठ के साथ प्रश्न–अभ्यास दिए गए हैं, जो पाठ को रोचक बनाने, उसे स्पष्ट करने में मदद करेंगे। पुस्तक के अंत में रचनाकारों का संक्षिप्त परिचय भी दिया गया है ताकि विद्यार्थी अगर रुचि लें तो उनकी अन्य रचनाएँ खोजकर पढ़ सकेंगे और रचनाकार के बारे में भी जानकारी हासिल कर सकेंगे।

आशा है विद्यार्थियों की भाषिक तथा साहित्यिक रुचियों के विकास की दृष्टि से पूरक पठन की यह पुस्तक उपयोगी सिद्ध होगी। पुस्तक के परिष्कार के लिए आपकी प्रतिक्रिया एवं सुझाव अपेक्षित हैं।

© NCERT not to be republished

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक [1]**[संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य]** बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय,**

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

और उपासना की **स्वतंत्रता,**

प्रतिष्ठा और अवसर की **समता**

प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन **सब में**

व्यक्ति की गरिमा और [2]**[राष्ट्र की एकता**

और अखंडता] सुनिश्चित करने वाली **बंधुता**

बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा में** आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. को **एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।**

---

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) ''प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) ''राष्ट्र की एकता'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

© NCERT not to be republished

विषय सूची

आमुख iii
पाठ्यपुस्तकों में पाठ्य सामग्री का पुनर्संयोजन v
इस पुस्तक के बारे में ix

हुसैन की कहानी अपनी ज़बानी
- बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल
- रानीपुर बाज़ार

मकबूल फ़िदा हुसैन **1**

आवारा मसीहा
- दिशाहारा

विष्णु प्रभाकर **15**

© NCERT not to be republished

भारत का संविधान

भाग 4क

नागरिकों के मूल कर्तव्य

अनुच्छेद 51 क

मूल कर्तव्य – भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह –

(क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे;

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे;

(ग) भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे;

(घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;

(ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों;

(च) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझे और उसका परिरक्षण करे;

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे;

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे;

(झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नयी ऊँचाइयों को छू सके; और

(ट) यदि माता-पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करे।

© NCERT not to be republished